

## HISTORY

B.A.PART-II (Subs)

Paper-II (Mughal period)

Unit-I, (Early Life Of Jahangir)

Dr. GUDDY KUMARI

(Guest Lecturer), History Deptt.

A.N.D. College, Samastipur

Lecture Series - 61

**"जहाँगीर (1605-1627) का प्रारंभिक जीवन"**

**(Early life of Jahangir)**

जहाँगीर को विरासत के रूप में एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली साम्राज्य प्राप्त हुआ था। 'मुहम्मद सलीम' (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में रिथत शेख सलीम चिश्ती' की कुटिया में भारमल की बेटी मरियम उज्जनानी' के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ। अकबर सलीम को 'शेखू बाबा' कहा करता था। सलीम अपने जीवन में सर्वाधिक अब्दुरहीम खानखाना से प्रभावित था जो उसका गुरु भी था। सर्वप्रथम 1581 में सलीम को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया

बनाकर काबुल पर आक्रमण के लिए भेजा गया । 1585 में अकबर ने जहांगीर को बारह हजार का मनसबदार बनाया ।

13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री 'मान बाई' से सम्पन्न हुआ । मानबाई को सलीम (जहांगीर) ने 'शाह बेगम' की उपाधि प्रदान की । कालान्तर में जहांगीर ने मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से भी विवाह किया ।

1599 तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के दिरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया । अकबर की मृत्यु के आठवें दिन 3 नवम्बर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक 'नूरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर बादशाह गाजी' की उपाधि से आगरे के किले में सम्पन्न हुआ ।

जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था । बादशाह बनने के बाद न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया । लोक कल्याण के कार्यों से सम्बन्धित 12 देशों की घोषणा जहाँगीर ने करवाई।

- (1) 'तमगा' नाम के कर की बसूली पर प्रतिबन्ध,
- (2) सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण,
- (3) व्यापारियों के सामान की तलाशी उनके इजाजत के बिना नहीं,
- (4) किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाय ।
- (5) शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध ।
- (6) दण्ड स्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा समाप्त
- (7) किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही
- (8) किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक,
- (9) कोई भी जागीरदार सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बंध सकता था,
- (10) गरीबी के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डाक्टरों की व्यवस्था का आदेश

(11) सप्ताह के दो दिन गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन व रविवार अकबर का जन्म दिन को पशुहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था ।

(12) अकबर के शासन काल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को पुनः उनके पद दे दिये गये।

जहाँगीर ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को जैसे अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुन्देला को तीन हजारी घुड़सवारों का सेनापति, नूरजहाँ के पिता 'ग्यासबेग को दीवान बनाकर 'एतमादुद्दौला' की उपाधि दी गयी, जमानबेग को 'महावत खां' की उपाधि प्रदान कर डेढ़ हजार का मनसब दिया, अबुल फजल के पुत्र अब्दुरहमान' को दो हजार का मनसब प्रदान किया । जहांगीर ने अपने कुछ अन्य कृपापात्र जैसे 'कुतुबुद्दीन कोका' को बंगाल का गवर्नर एवं शरीफ खां' को प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया।

**खुसरो का विद्रोह ( 1606)-**

जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । करीब 12000 सैनिकों के साथ खुसरो एवं जहांगीर की सेना का मुकाबला जालंधर के निकट 'भैरावल' के मैदान में हुआ । खुसरो को पकड़ कर कैद में डाल दिया

गया । सिक्खों के 5 वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की सहायता की थी । कालान्तर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या का षडयन्त्र रचने के कारण उसे पकड़ कर अन्धा करवा दिया गया । खुर्रम (शाहजहां) ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 में उसकी हत्या करवा दिया। इसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया।

**!!!!!!!!!!!! धन्यवाद !!!!!!!!!!!!!**

Dr Guddy Kumari (A.N.D. College)